संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
"विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 – A, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) - 462011
फोन : 2550909, फैक्स : 2550912, E- m-ail commwcd@nic.in / Website www.mpwcdmis.org

क्र/मबावि/ आईसीडीएस /2020/ 3687 **भोपाल, दिनांकः** 29 **/08/2020**

IMPORTANT

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला–समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः– पोषण अभियान अंतर्गत 1 से 30 सितम्बर 2020 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह में सघन वजन अभियान ।

संदर्भः– महिला बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार का पत्र कमांक PA/123/2020-CPMU(e-87504) Dated 28th August ' 2020 ।

पोषण अभियान अंतर्गत माह सितम्बर 2020 में पोषण माह का आयोजन किया जाना है। वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण काल में आंगनवाडी केन्द्र की सेवाए विभिन्न कारणों से प्रभावित हुई है। शनैः–शनैः हितग्रहियों को नियमित सेवाओं की उपलब्धता प्रदान कराने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

यह विदित है कि दिनांक 1 से 30 सितम्बर 2020 तक पोषण माह का आयोजन किया जाना है। कोविड – 19 संक्रमण काल मे बच्चो की ग्रोथ मॉनिटिरिंग भी प्रभावित हुई है । बच्चो की सघन रूप ग्रोथ मॉनिटिरिंग की सुनिश्चिता हेतु पोषण माह मे अभियान के रूप मे उक्त कार्य संपादित किया जाना है ।

(अ) बच्चों को सूचीबद्ध करना :–

1. ग्रोथ मॉनिटरिंग हेतु 05 वर्ष आयु वर्ग के बच्चो की सूची अघतन कर ली जाये ।
2. ग्रोथ मॉनिटरिंग की सूचना सभी बच्चों के अभिभावकों को प्रदाय की जाये ।

(ब) शारीरिक माप लेने की प्रकियाः–

1. ग्रोथ मॉनिटरिंग स्थल पर एक समय हितग्राही सहित मे 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें । कार्यकर्ता, हितग्राही एवं उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा साबुन एवं पानी का उपयोग कर हाथ धोया जाए तथा सभी उपस्थित सदस्यो द्वारा मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाये । स्थल पर सेनीटाइजेशन ,सुरक्षित दूरी रखने तथा मास्क उपयोग के सबंध में पूर्व मे

विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं । इस संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक आईसीडीएस/2020/2776–2777 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्देश दिये जारी किये गये है।

2. बच्चों एवं महिलाओं का वजन केवल एडल्ट वेईंग मशीन से ही लिया जाए। साल्टर वेईंग मशीन का उपयोग वर्तमान में नही किया जाए।
3. प्रत्येक हितग्राही का वजन किये जाने के पश्चात वजन मशीन को सेनिटाईज किया जाए।
4. बच्चों के शारीरिक माप (लम्बाई/ऊँचाई) लेते समय मॉ अथवा अभिभावक का सहयोग लिया जाए।

(स) <u>शारीरिक माप का रिकार्ड संधारणः–</u>

1. बच्चों के लिये गये वजन के आधार पर पोषण स्तर का निर्धारण करते हुये सूचीबद्व बच्चों की प्रविष्टि रजिस्टर मे की जाये ।
2. पोषण स्तर के आधार पर पोषण प्रबंधन किये जाने वाले बच्चो की पृथक–पृथक सूची तैयार की जाये ।
3. बच्चो के शारीरिक माप का विवरण आईसीडीएस केस एवं "संपर्क एप" के CSAM माड्युल में दर्ज किया जाए।
4. गंभीर कुपोषित बच्चो के फोटोग्राफ लिये जाकर संपर्क एप/गुगल लिंक मे अपलोड किये जाये ।

(द) <u>गंभीर कुपोषित बच्चो का पोषण प्रबंधनः–</u>

1. अति गंभीर कुपोषित बच्चों मे से चिकित्सीय जटिलता वाले चिन्हित बच्चो को पोषण प्रबंधन हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र मे संदर्भित किया जाये ।
2. गैर चिकित्सीय जटिलता वाले चिन्हित बच्चो का वर्तमान कोविड–19 संक्रमण काल मे परिवार स्तर पर ही पोषण प्रबंधन किया जाये । संचालनालय के पत्र क्रमांक 587–588/अबामि/2020 दिनांक 05.03.2020 द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये है।
3. परिवार स्तर पर पोषण प्रबंधन किये जाने वाले बच्चों के घर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता द्वारा नियमित गृहभेट कर आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण की सलाह दी जाये साथ ही एएनएम/आशा कार्यकर्ता के समन्वय से आवश्यक दवाईयॉ तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जाये ।

4. अति गंभीर कुपोषित बच्चो के फोटोग्राफस लिये जाये ।

(इ) निगरानी एवं मूल्याकंनः–

1. पोषण पुर्नवास केन्द्र से डिस्चार्ज हुये बच्चों का चार फॉलोअप ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आशा कार्यकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से किये जाये ।
2. चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर मे परिवर्तन की आगामी तीन मे निगरानी की जाये ।
3. आगामी तीन माह मे बच्चो के शारीरिक माप मे आये परिवर्तन/सुधार की समीक्षा कर संपर्क एप के सी–सेम मॉड्यूल मे प्रविष्टि की जाये ।

कृपया पोषण माह 2020 में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जिला एवं परियोजना स्तर पर स्वास्थ्य विभाग एवं मैदानी स्तर पर कार्यरत डेव्लपमेन्ट पार्टनर से आवश्यक समन्वय कर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/मबावि /आईसीडीएस/2020/ 3688 **भोपाल, दिनांक –** 29 **/08/2020**
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. 8 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग–समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

संचालक,
महिला एवं बाल विकास,
मध्यप्रदेश